



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

अवैध शस्त्र फैक्ट्री बरामद एवम् दो अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी. सिंह द्वारा जनपद सीतापुर में अपराध नियंत्रण एवम् अपराध को ही अपनी आय का स्रोत मान कर आपराधिक कृत्य करने वाले अपराधियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है।

दिये गये निर्देश के क्रम में थाना तंबौर की पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान दबिश देकर अवैध शस्त्र फैक्ट्री का पर्दाफाश करते हुए अभियुक्तगण 1. रमेश पुत्र पैकरमा निवासी बाछेपुर थाना रेउसा जनपद सीतापुर 2. बब्बू उर्फ बाबूराम पुत्र मनोहर निवासी ग्राम सोनावा थाना रेउसा जनपद सीतापुर को तुलापुरवा मोड़ पर स्थित बाग से गिरफ्तार किया है। जिनके कब्जे से मौके से 04 अदद तमंचा 315 बोर , 01 अदद तमंचा 12 बोर , 04 अदद पुरानी बन्दूक 12 बोर, 01 अर्द्धनिर्मित बन्दूक 12 बोर व 1 नाल 315 बोर , 1 नाल 12 बोर व अवैध असलहे बनाने के उपकरण बरामद हुआ है। इसके अतिरिक्त अभियुक्त रमेश व बब्बू उपरोक्त में प्रत्येक के कब्जे एक-एक अवैध तमंचा बरामद किया गया। जिसके संबंध में दोनो अभियुक्तो पर क्रमशः मु0अ0सं0 268/20, 269/20 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना तंबौर पंजीकृत किया गया है। बरामद शस्त्र फैक्ट्री के संबंध में थाना तंबौर पर मु0अ0सं0 270/20 धारा 3/5/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया जा रहा है। अभियुक्तगण शातिर किस्म के अभयस्त अपराधी है। अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही ऐसे ही चलती रहेगी।

● पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0268/20 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना तंबौर, सीतापुर।
2. मु0अ0सं0269/20 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना तंबौर, सीतापुर।
3. मु0अ0सं0 270/20 धारा 3/5/25 शस्त्र अधिनियम थाना तंबौर जनपद सीतापुर

● अभियुक्त का नाम व पता -

1. रमेश पुत्र पैकरमा निवासी बाछेपुर थाना रेउसा जनपद सीतापुर
2. बब्बू उर्फ बाबूराम पुत्र मनोहर निवासी ग्राम सोनावा थाना रेउसा जनपद सीतापुर

- **बरामदगी विवरण-**

04 अदद तमंचा 315 बोर, 01 अदद तमंचा 12 बोर, 04 अदद पुरानी बन्दूक 12 बोर, 01 अर्द्धनिर्मित बन्दूक 12 बोर, 1 नाल 315 बोर, 1 नाल 12 बोर, अवैध असलहे बनाने के उपकरण

- **गिरफ्तारी करने वाली थाना तंबौर पुलिस टीम-**

1. SI श्री दीपक कुमार पाण्डेय
2. HC उमानाथ पाण्डेय
3. का0 मोनू चौधरी
4. का0 शिवम पाण्डेय
5. का0 कृष्णकांत
6. का0 पुष्पेन्द्र कुमार

- **आपराधिक इतिहास-**

- **अभियुक्त रमेश पुत्र पैकरमा निवासी बाछेपुर थाना रेउसा जनपद सीतापुर-**

1. मु0अ0सं0144/2002 धारा 5/25 आयुध अधिनियम थाना रेउसा,सीतापुर।
2. मु0अ0सं0145/2002 धारा 25(1-b) आयुध अधिनियम थाना रेउसा,सीतापुर।
3. मु0अ0सं0248/2006 धारा 5/25 आयुध अधिनियम थाना रेउसा,सीतापुर।
4. मु0अ0सं0268/2020 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना तंबौर,सीतापुर।
5. मु0अ0सं0270/2020 धारा 3/5/25 आयुध अधिनियम थाना तंबौर,सीतापुर।

- **अभियुक्त बब्बू उर्फ बाबूराम पुत्र मनोहर निवासी ग्राम सोनावा थाना रेउसा जनपद सीतापुर**

1. मु0अ0सं0 172/1999 धारा 5/25 आयुध अधिनियम थाना रेउसा,सीतापुर।
2. मु0अ0सं0 88/2002 धारा 5/25 आयुध अधिनियम थाना रेउसा,सीतापुर।
3. मु0अ0सं0 93/2007 धारा 5/25 आयुध अधिनियम थाना रेउसा,सीतापुर।
4. मु0अ0सं0 201/2011 धारा 324/323/504 भादवि थाना रेउसा,सीतापुर।
5. मु0अ0सं0 269/2020 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना तंबौर,सीतापुर।
6. मु0अ0सं0 270/2020 धारा 3/5/25 आयुध अधिनियम थाना तंबौर,सीतापुर।

